निबंधन संख्या पी0टी0-40

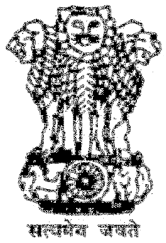

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 26 पटना, बुधवार, 9 आषाढ़, 1932 (श0)
30 जून, 2010 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-3
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	5-17
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	19-24
पूरक	---
पूरक-क	25-26

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

सूचना प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचनाएं

25 मार्च 2010

सू० प्रा०–47/2007–344––बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि०, पटना के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की धारा–92(a) एवं (b) के अन्तर्गत विकास आयुक्त, बिहार, पटना को बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि०, पटना के निदेशक पर्षद के निदेशक एवं अध्यक्ष के पद पर पदेन नियुक्त किया जाता है।

2. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 116 दिनांक 18 दिसम्बर 2007 को तद्नुसार संशोधित समझा जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आर० बी० चौधरी, उप सचिव।

21 अप्रील 2010

सं० सू० प्रा०–94/2010–460––सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 12/प०(क०) 1008/2010 का०–3033, दिनांक 4 अप्रील 2010 द्वारा श्री राकेश मोहन, बि०प्र०से० की सेवा महाप्रबंधक, बेल्ट्रॉन के पद पर पदस्थापन हेतु सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सौंपी गयी है। उक्त अधिसूचना के आलोक में श्री राकेश मोहन को महाप्रबंधक, बेल्ट्रॉन के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
प्रकाश कुमार, उप सचिव।

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

6 मई 2010

सं०सं०–1/रा०स्था० (2)–सह०से० (व्य०)–012/2004 सह०/1887––श्री त्रिवेणी प्रसाद सिन्हा, संयुक्त निबंधक, स०स०, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम 228, 229 के तहत् दिनांक 1 फरवरी 2010 से 7 मार्च 2010 तक कुल 35 दिन की उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है।

2. प्रमाणित किया जाता है, कि श्री सिन्हा उक्त अवधि में अवकाश पर नहीं रहते तो अपने पद पर बने रहते।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से
ललन राय, उप सचिव।

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

17 जून 2010

संख्या, वि0स0 (समिति)-03/07-1189/एम0––मंत्रिमंडल (संसदीय कार्य) विभाग के पत्रांक 828, दिनांक 26 अगस्त 2006 तथा संसदीय कार्य विभाग के संकल्प संख्या 700, दिनांक 11 अक्तूबर 1985 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत, विभागीय अधिसूचना, संख्या 3106 /एम0, दिनांक 19 दिसम्बर 2006 द्वारा पूर्व गठित ''विभागीय परामर्शदातृ समिति'' को निम्नांकित रूप में पुनर्गठित किया जाता है ।

क्रमांक	समिति के अध्यक्ष / सदस्य का नाम	पदनाम
1	2	3
1	माननीय मंत्री / माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार	अध्यक्ष
2	श्री राजेश कुमार रौशन उर्फ बबलू माननीय सदस्य, बिहार विधान-सभा	सदस्य
3	श्रीमती गुड्डी देवी, माननीय सदस्या, बिहार विधान-सभा	सदस्य
4	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, माननीय सदस्य, बिहार विधान-सभा	सदस्य
5	श्री सुधांशु शेखर भाष्कर, माननीय सदस्य, बिहार विधान-सभा	सदस्य
6	श्री विजेन्द्र कुमार यादव, माननीय सदस्य, बिहार विधान-सभा	सदस्य
7	श्री बनवारी राम, माननीय सदस्य, बिहार विधान-सभा	सदस्य
8	श्रीमती रेणु सिंह, माननीया सदस्या, बिहार विधान परिषद (निर्दलीय)	सदस्य
9	श्री राम बदन राय, माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद	सदस्य
10	श्री वीरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग	संयुक्त सचिव

2. पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 3106 /एम0, दिनांक 19 दिसम्बर 2006 को इस हद तक संशोधित किया जाता है । शेष शर्त्तें यथावत् रहेगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
वीरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव ।

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 15—571+130-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना
26 मई 2010

सं० 3/क0वि0रा0म0आ0–102/05–2291—समाज कल्याण विभाग, पटना के अधिसूचसना संख्या–1731, दिनांक 2 नवम्बर 2007 द्वारा बिहार राज्य महिला आयोग के पुनर्गठन के फलस्वरूप श्रीमती लेसी सिंह पूर्व विधायिका, ग्राम+पोस्ट–सरसी, थाना–सरसी, जिला–पूर्णिया को अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया था।

1. श्रीमती लेसी सिंह, अध्यक्ष, बिहार राज्य महिला आयोग, पटना द्वारा समर्पित आवेदन दिनांक 28 अप्रील 2010 पर विचारोंपरान्त बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा–4 के कंडिका–2 (घ) में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद के विरूद्ध त्याग–पत्र स्वीकृत किया जाता है।

2. यह तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम लखन रविदास, संयुक्त सचिव।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

अधिसूचना
12 मई 2010

सं० 25 सं./वि 2–23/2000–159—वैशाली पुरातात्विक उत्खनन में प्राप्त एवं पटना संग्रहालय में संगृहीत ''भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि मंजूषा'' के पुरातात्विक एवं धार्मिक महत्व तथा इसके सार्वजनिक प्रदर्शन की जन–अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए, वैशाली में एक स्वतंत्र संग्रहालय निर्माण के राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या 167, दिनांक 8 अप्रील 2005 के द्वारा निर्गत की गयी थी।

2. राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि वैशाली में बुद्ध सम्यक् दर्शन संग्रहालय निर्माण के साथ ही, भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि मंजूषा के प्रदर्शन के लिये, एक स्मृति स्तूप का भी निर्माण कराया जायेगा।

3. अधिसूचना संख्या 167, दिनांक 8 अप्रील 2005 को इस हद तक संशोधित समझा जाये।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विवेक कुमार सिंह, सचिव।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचनाएं
23 मार्च 2010

सू० प्रा०–34/2010–328—सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की तरह राज्य सरकार राश्ट्रीय ई.–शासन योजना (NeGP) का परिवर्तन कर रहा है, जिसका उद्देश्य शासन एवं सांस्थानिक तंत्र तैयार करना तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के स्तर पर विभिन्न मिशन मोड का कार्यान्वयन करना है।

विदित हो कि राश्ट्रीय ई.–शासन योजना (NeGP) के अन्तर्गत राज्य सरकार भारत सरकार की तरह किसी भी प्रकार के प्रौद्योगिकीय अवरोध से बचने के लिए मुक्त मानकों के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है।

आप अवगत हैं कि ई.–शासन में मानक एक उच्च प्राथमिकता वाला कार्य–कलाप है, जिससे सूचना को आपस में बाँटने तथा विभिन्न ई.–शासन अनुप्रयोगों में डेटा की अविछिन्न अन्तर–प्रचालनीयता का सुनिश्चय होता है। सूचना प्रावैधिकी

विभाग, बिहार, पटना ने ई.–शासन के मानक तैयार करने/अपनाने के उद्देश्य राष्ट्रीय ई.–शासन योजना (NeGP) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय ई.–शासन शीर्ष समिति (SeGP Apex Committee) का गठन किया है।

विभिन्न भाषाओं में सूचना की उपलब्धता की कमी के कारण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में धीमी प्रगति हो रही है और I.C.T. का लाभ सामान्य जनता के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा भाषा प्रौद्योगिकी का स्थानीयकरण पर ध्यान मानकीकरण के अन्तर्गत दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि राज्य सरकार भी इस ओर अपना ध्यान आकृष्ट करें।

विदित हो कि भारत सरकार के द्वारा **यूनिकोड–5.1.0** के अक्षर कोडीकरण मानक के रूप में अनुमोदित कर दिया गया है, जिसके तहत् बहुभाषी पाठ के प्रस्तुतीकरण के लिए पूरे विश्व में व्यापक स्वीकृति प्राप्त है और भारतीय भाषाओं का भी समर्थन करता है, और इसके साथ–साथ यह संविधान द्वारा स्वीकृत सभी भाषाओं के लिए अनुप्रयोगों के स्थानीयकरण को सरल बनाता है।

अतः सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तर्ज पर राज्य सरकार भी **यूनिकोड–5.1.0** तथा इसके भावी संस्करणों को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से ई.–शासन अनुप्रयोगों के मामले में मानक के रूप में अधिसूचित करता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार सिंह, प्रधान सचिव।

---

23 मार्च 2010

सू० प्रा०–34/2010–340—सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की तरह राज्य सरकार राष्ट्रीय ई.–शासन योजना (NeGP) का परिवर्तन कर रहा है, जिसका उद्देश्य शासन एवं सांस्थानिक तंत्र तैयार करना तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के स्तर पर विभिन्न मिशन मोड का कार्यान्वयन करना है।

विदित हो कि राष्ट्रीय ई.–शासन योजना (NeGP) के अन्तर्गत राज्य सरकार भारत सरकार की तरह किसी भी प्रकार के प्रौद्योगिकीय अवरोध से बचने के लिए मुक्त मानकों के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है।

आप अवगत हैं कि ई.–शासन में मानक एक उच्च प्राथमिकता वाला कार्य–कलाप है, जिससे सूचना को आपस में बाँटने तथा विभिन्न ई.–शासन अनुप्रयोगों में डेटा की अविछिन्न अन्तर–प्रचालनीयता का सुनिश्चय होता है। सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना ने ई.–शासन के मानक तैयार करने/अपनाने के उद्देश्य राष्ट्रीय ई.–शासन योजना (NeGP) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय ई.–शासन शीर्ष समिति (SeGP Apex Committee) का गठन किया है।

विभिन्न भाषाओं में सूचना की उपलब्धता की कमी के कारण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में धीमी प्रगति हो रही है और I.C.T. का लाभ सामान्य जनता के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा भाषा प्रौद्योगिकी का स्थानीयकरण पर ध्यान मानकीकरण के अन्तर्गत दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि राज्य सरकार भी इस ओर अपना ध्यान आकृष्ट करें।

विदित हो कि भारत सरकार के द्वारा **आईएसओ/आईईसी–14496–ओएफएफ (मुक्त फोन्ट प्रारूप)** को फोन्ट के के रूप में अनुमोदित कर दिया गया है, एक अन्तर्राष्ट्रीय मानक पर आधारित है तथा डेटा भण्डारण के लिए यूनिकोड का अनुपालन करता है। इससे विभिन्न अनुप्रयोगों तथा प्लेटफॉर्मों पर डेटा को ले जाना सुनिश्चित होता है।

अतः सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तर्ज पर राज्य सरकार भी **आईएसओ/आईईसी–14496–ओएफएफ (मुक्त फोन्ट प्रारूप)** को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से ई.–शासन अनुप्रयोगों के मामले में सभी 22 भारतीय भाषाओं के लिए मानक फोन्ट के रूप में अधिसूचित करता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार सिंह, प्रधान सचिव।

वित्त विभाग

अधिसूचनाएं

18 जून 2010

सं० अ०पा०-95/2008-538—राज्य सरकार ने Bihar Capacity Building Technical Assistance (BCBTA) के लिए DFID विश्व बैंक Trust Fund की सहायता से एक नये Procurement Manual एवं Standard Bidding Document बनाने का निर्णय लिया है । इस क्रम में Terms of Reference के आलोक में प्रधान सचिव, वित्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है । इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(1) प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग - सदस्य
(2) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग - सदस्य
(3) प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग - सदस्य
(4) सचिव, पंचायती राज विभाग - सदस्य
(5) सचिव, पथ निर्माण विभाग - सदस्य

2. यह समिति अच्छे वित्तीय प्रबंधन के लिए वित्तीय प्रक्रियाओं के लिए युक्तिकरण अधिप्राप्ति एवं मानक निविदा Document को बनाने के लिए किये जाने वाले कार्य का अनुश्रवण एवं उच्चस्तरीय समन्वय का कार्य सम्पादित करेगी ।

3. समिति Terms of Reference के अधीन Capacity Building Training कार्य का अनुश्रवण करेगा तथा इसकी समीक्षा करेगा कि Terms of Reference में अंकित सभी बिन्दुओं पर कार्रवाई की जा रही है ।

4. समिति का मुख्यालय पटना में होगा । आवश्यकतानुसार समिति की बैठक आहूत की जा सकेगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिहिर कुमार सिंह, सचिव, वित्त (व्यय)।

---

18 जून 2010

सं० अ०पा०-95/2008-539—राज्य सरकार ने Bihar Capacity Building Technical Assistance (BCBTA) के लिए DFID विश्व बैंक Trust Fund की सहायता से एक नये Procurement Manual एवं Standard Bidding Document बनाने का निर्णय लिया है । इस क्रम में Terms of Reference के आलोक में सचिव, वित्त (व्यय) की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(1) संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी - सदस्य
(2) अपर सचिव/ संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग - सदस्य
(3) अपर सचिव/ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग - सदस्य
(4) अपर सचिव/ संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग - सदस्य
(5) अपर सचिव/ संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग - सदस्य
(6) संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (प्रशाखा 4 के प्रभारी) - सदस्य सचिव

2. इस समिति का कार्य Terms of Reference के अन्तर्गत सभी अधिप्राप्ति नियम/ नियमावली, कार्यालय आदेश, मैनुअल इत्यादि समिति को उपलब्ध कराना होगा तथा नई प्रक्रियाओं एव प्रणालियों के संबंध में जानकारी देने का कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना होगा ।

3. समिति का मुख्यालय पटना में होगा । आवश्यकतानुसार समिति की बैठक आहूत की जा सकेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिहिर कुमार सिंह, सचिव, वित्त (व्यय)।

मुख्य अभियंता का कार्यालय,
जल संसाधन विभाग, सिवान।

कार्यालय आदेश
28 अप्रील 2010

सं0 1 स्था0अनु0–12–106/2009–20–1078—समाहर्ता–सह–अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति, सिवान के पत्रांक 812/स्था0, दिनांक 13 अक्तूबर 2009 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 19 सितम्बर 2009 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1508, दिनांक 20 जून 2005 से प्राप्त निदेश के क्रम में इस कार्यालय में दिनांक 26 मार्च 2010 को आहुत योग्यता एवं दक्षता की लिखित जॉच परीक्षा जॉच समिति द्वारा ली गई। जॉच समिति से प्राप्त फलाफल में सफल हुए श्री अनिल कुमार तिवारी, पिता स्व0 ललन तिवारी, भूतपूर्व कार्यदर्शक, सारण नहर प्रमंडल, सिवान की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान रुपये 5200–20200 + ग्रेड पें–1800 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान

कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, सिवान के कार्यालय में दिनांक 27 मई 2010 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है।

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी।

3. स्व0 ललन तिवारी के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण–पोषण का दायित्व श्री अनिल कुमार तिवारी पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हे।

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा।

5. अगर श्री अनिल कुमार तिवारी की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा–भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी।

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्त्तन नहीं किया जा सकेगा।

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण–पत्र एवं वास्तविक जन्म–तिथि से संबंधित प्रमाण–पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी।

10. इन्हें छः माह के अन्दर इस कार्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली टंकण जॉच परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करनी होगी।

11. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री अनिल कुमार तिवारी, से भरण–पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक–दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेंगे।

12. उप–सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा।

आदेश से,
राम पुकार रंजन, मुख्य अभियंता।

---

28 अप्रील 2010

सं0 1 स्था0अनु0–12–106/2009–21–1079––समाहर्ता–सह–अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति ,सिवान के पत्रांक 812/स्था0, दिनांक 13 अक्तूबर 2009 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 19 सितम्बर 2009 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1508, दिनांक 20 जून 2005 से प्राप्त निदेश के क्रम में इस कार्यालय में दिनांक 26 मार्च 2010 को आहुत योग्यता एवं दक्षता की लिखित जॉच परीक्षा जॉच समिति द्वारा ली गई। जॉच समिति से प्राप्त फलाफल में सफल हुए श्री प्रभाकर कुमार चौबे, पिता स्व0 पारसनाथ चौबे, भूतपूर्व पत्राचार लिपिक, सारण नहर अंचल, सिवान की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान रुपये 5200–20200 + ग्रेड पें–1800 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, सिवान के कार्यालय में दिनांक 27 मई 2010 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है।

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी।

3. स्व0 पारसनाथ चौबे के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण–पोषण का दायित्व श्री प्रभाकर कुमार चौबे पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हे।

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा।

5. अगर श्री प्रभाकर कुमार चौबे की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा–भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी।

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण–पत्र एवं वास्तविक जन्म–तिथि से संबंधित प्रमाण–पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी।

10. इन्हें छः माह के अन्दर इस कार्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली टंकण जॉच परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करनी होगी।

11. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री प्रभाकर कुमार चौबे, से भरण–पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेंगे।

12. उप–सचिव, वित्त विभाग के पत्रसंख्या 1964 दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।

आदेश से,
राम पुकार रंजन, मुख्य अभियंता।

---

28 अप्रील 2010

सं0 1 स्था0अनु0–12–106/2009–22–1080––समाहर्ता–सह–अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति ,सिवान के पत्रांक 513/स्था0, दिनांक 4 जुलाई 2009 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 22 जून 2009 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1508, दिनांक 20 जून 2005 से प्राप्त निदेश के क्रम में इस कार्यालय में दिनांक 26 मार्च 2010 को आहुत योग्यता एवं दक्षता की लिखित जॉच परीक्षा जॉच समिति द्वारा ली गई। जॉच समिति से प्राप्त फलाफल में सफल हुए श्री साहेब लाल, पिता स्व0 बन्धू चौधरी, भूतपूर्व चौकिदार, सारण नहर प्रमंडल, सिवान की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान रुपये 5200–20200 + ग्रेड पें–1800 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्नवर्गीय लेखा लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, सिवान के कार्यालय में दिनांक 27 मई 2010 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है।

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी।

3. स्व0 बन्धू चौधरी के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण–पोषण का दायित्व श्री साहेब लाल पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हे।

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा।

5. अगर श्री साहेब लाल की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षितन कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा–भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी।

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण–पत्र एवं वास्तविक जन्म–तिथि से संबंधित प्रमाण–पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी।

10. इन्हें छः माह के अन्दर इस कार्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली टंकण जॉच परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करनी होगी।

11. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री साहेब लाल, से भरण–पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक–दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेंगे।

12. उप–सचिव, वित्त विभाग के पत्र–संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।

आदेश से,
राम पुकार रंजन, मुख्य अभियंता।

---

28 अप्रील 2010

सं0 1स्था0अनु0–12–107 / 2008–23–1081—समाहर्ता–सह–अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति, सिवान के पत्रांक 101 / स्था0 दिनांक 1 फरवरी 2010 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 19 दिसम्बर 2009 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में श्री मु0 कृष्णा देवी, जौजे स्व0 लक्ष्मी प्रसाद, भूतपूर्व जीप चालक, वैज्ञानिक गुण नियंत्रण प्रमंडल सं0 3, सिवान की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान रु० 4440–7440 ग्रेड पे0 1300 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित अनुसेविका के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान उप–निदेशक, वैज्ञानिक गुण नियंत्रण प्रमंडल सं0 4 सिवान के कार्यालय में दिनांक 15 मई 2010 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है।

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी।

3. स्व0 लक्ष्मी प्रसाद के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण–पोषण का दायित्व श्री मु0 कृष्णा देवी पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हे।

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा।

5. अगर श्री मु0 कृष्णा देवी की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा–भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी।

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण–पत्र एवं वास्तविक जन्म–तिथी से संबंधित प्रमाण–पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी।

10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री मु0 कृष्णा देवी, से भरण–पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने–देने का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेंगे।

11. उप–सचिव, वित्त विभाग के सं0–1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।

आदेश से,
राम पुकार रंजन, मुख्य अभियंता।

---

28 अप्रील 2010

सं0 1 स्था0अनु0–12–106 / 2009–25–1085—समाहर्ता–सह–अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति, सारण के पत्रांक 1230 / स्था0, दिनांक 29 सितम्बर 2009 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सारण की दिनांक 23 जून 2009 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1508, दिनांक 20 जून 2005 से प्राप्त निदेश के क्रम में इस कार्यालय में दिनांक 26 मार्च 2010 को आहुत योग्यता एवं दक्षता की लिखित जॉच परीक्षा जॉच समिति द्वारा ली गई। जॉच समिति से प्राप्त फलाफल में सफल हुए श्री राजीव कुमार सिंह, पिता स्व0 रामशंकर सिंह, भूतपूर्व कार्यदर्शक, सारण नहर प्रमंडल, छपरा की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान रु० 5200–20200 + ग्रेड पें–1800 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्नवर्गीय लेखा लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, महाराजगंज के कार्यालय में दिनांक 27 मई 2010 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है।

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी।

3. स्व0 रामशंकर सिंह के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण–पोशण का दायित्व श्री राजीव कुमार सिंह पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हे।

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा।

5. अगर श्री राजीव कुमार सिंह की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षितन कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा–भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी।

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण–पत्र एवं वास्तविक जन्म–तिथि से संबंधित प्रमाण–पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी।

10. इन्हें छः माह के अन्दर इस कार्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली टंकण जॉच परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करनी होगी।

11. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री राजीव कुमार सिंह, से भरण–पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक–दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेंगे।

12. उप–सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।

आदेश से,
राम पुकार रंजन, मुख्य अभियंता।

---

28 अप्रील 2010

सं0 1 स्था0अनु0–12–114/2009–26–1086—समाहर्ता–सह–अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति, सिवान के पत्रांक 101/स्था0, दिनांक 1 फरवरी 2010 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 19 दिसम्बर 2009 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1508, दिनांक 20 जून 2005 से प्राप्त निदेश के क्रम में इस कार्यालय में दिनांक 26 मार्च 2010 को आहुत योग्यता एवं दक्षता की लिखित जॉच परीक्षा जॉच समिति द्वारा ली गई। जॉच समिति से प्राप्त फलाफल में सफल हुए श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, पिता स्व0 सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव भूतपूर्व हेल्पर, वैज्ञानिक गुण नियंत्रण प्रमंडल सं0 3, सिवान की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान रु० 5200–20200 + ग्रेड पें–1800 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्नवर्गीय लेखा लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, छपरा के कार्यालय में दिनांक 27 मई 2010 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है।

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी।

3. स्व0 सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव, के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण–पोषण का दायित्व श्री कुमार श्रीवास्तव पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हे।

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला छपरा के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा।

5. अगर श्री विजय कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षितन कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा–भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी।

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण–पत्र एवं वास्तविक जन्म–तिथि से संबंधित प्रमाण–पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी।

10. इन्हें छः माह के अन्दर इस कार्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली टंकण जॉच परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करनी होगी।

11. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, से भरण–पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक–दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेंगे।

12. उप–सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।

आदेश से,
राम पुकार रंजन, मुख्य अभियंता।

मुख्य अभियंता उत्तर का कार्यालय,
नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाधन-विभाग, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय-आदेश
27 मई 2010

सं०स्था0-3, बी-22/09-589—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1661 दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व० नन्दलाल प्रसाद भूतपूर्व हेल्पर, नलकूप प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के आश्रित पुत्र-श्री बब्लू कुमार को नलकूप अंचल, पुर्णिया के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान रु० 3050-75-3950-80-4590 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।

2. श्री बब्लू कुमार पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नवनियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह में तिलक-दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व० नन्द लाल प्रसाद के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात अधीक्षण अभियंता नलकूप अंचल, पूर्णिया के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच अधीक्षण अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन अधीक्षण अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरुद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन अधीक्षण अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरुद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री बब्लू कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरुप एक घोषणा-पत्र भी अधीक्षण अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे अधीक्षण अभियंता श्री बब्लू कुमार की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक-दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा-पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को अधीक्षण अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरुद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।

9. इन्हे छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी।

10. योगदान करने हेतु श्री बब्लू कुमार को यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।

आदेश से,
राजवंश राय, मुख्य अभियंता (उत्तर)।

---

27 मई 2010

सं० स्था0-3, बी-20/09-590—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1661, दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व० विन्देश्वर राम, भूतपूर्व नलकूप चालक, नलकूप प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के आश्रित पुत्र श्री रामप्रवेश राम को नलकूप अंचल, पूर्णिया के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान रु० 3050-75-3950-80-4590 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।

2. श्री रामप्रवेश राम पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नवनियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक-दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व० विन्देश्वर राम के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात अधीक्षण अभियंता, नलकूप अंचल, पूर्णिया के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच अधीक्षण अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन अधीक्षण अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरुद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन अधीक्षण अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरुद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री रामप्रवेश राम को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरुप एक घोषणा-पत्र भी अधीक्षण अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे अधीक्षण अभियंता श्री रामप्रवेश राम की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक-दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा-पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को अधीक्षण अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरुद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।

9. इन्हे छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कार्रवाई की जायेगी।

10. योगदान करने हेतु श्री रामप्रवेश राम को यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।

आदेश से,
राजवंश राय, मुख्य अभियंता (उत्तर)।

---

31 मई 2010

सं० स्था0-3, बी-22/09-592—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1661, दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व० ब्रजकिशोर प्रसाद भूतपूर्व नलकूप चालक, नलकूप प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के आश्रित पुत्र श्री रामप्रवेश प्रसाद को नलकूप प्रमण्डल, पूर्णिया के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान रु० 3050-75-3950-80-4590 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।

2. श्री रामप्रवेश प्रसाद पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नवनियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक-दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व० ब्रज किशोर प्रसाद के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, पूर्णिया के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरुद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरुद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री रामप्रवेश प्रसाद को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरुप एक घोषणा-पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री रामप्रवेश प्रसाद की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक-दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा-पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरुद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।

9. इन्हे छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी।

10. योगदान करने हेतु श्री रामप्रवेश प्रसाद को यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।

आदेश से,
राजवंश राय, मुख्य अभियंता (उत्तर)।

---

3 जून 2010

सं० स्था0-3, बी-21/09-600—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1661 दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व० मोहन शर्मा भूतपूर्व नलकूप चालक नलकूप प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के आश्रित पुत्र श्री साकेत कुमार को नलकूप प्रमण्डल, गोपालगंज के अन्तर्गत राजस्व लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान रु० 3050-4590 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।

2. श्री साकेत कुमार पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नवनियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व० मोहन शर्मा के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, गोपालगंज के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरुद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरुद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री साकेत कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरुप एक घोषणा-पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री साकेत कुमार की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा-पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरुद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।

9. इन्हे छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी।

10. योगदान करने हेतु श्री साकेत कुमार को यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।

आदेश से,
राजवंश राय, मुख्य अभियंता (उत्तर)।

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

10 जून 2010

सं० 6/नि0/प्रतिनि0–1–001/2009–2597वा0क0—वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–एस0ओ0 74 एवं 75, दिनांक 19 अप्रील 2010 के द्वारा बिहार वित्त सेवा नियमावली, 1953 के नियम 34 में संशोधन करते हुए बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण अवधि 32 सप्ताह से बढाकर 80 सप्ताह कर दिया गया है। तदनुसार बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारियों के लिए बिहार वित्त सेवा नियमावली, 1953 के नियम 34 के परिशिष्ट ''घ'' में उल्लिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम को संशोधित करते हुए सरकार द्वारा यथा अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् होगीः–

परिशिष्ट–''घ''

बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम।

1	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (आधारभूत प्रशिक्षण)	24 (चौबीस) सप्ताह
2	कोषागार प्रशिक्षण	04 (चार) सप्ताह
3	वाणिज्य–कर मुख्यालय में प्रशिक्षण	02 (दो) सप्ताह
4	वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त प्रमंडल	04 (चार) सप्ताह
5	वित्त विभाग	01 (एक) सप्ताह
6	समाहरणालय में प्रशिक्षण	01 (एक) सप्ताह
7	जॉच चौकी का व्यवहारिक प्रशिक्षण	08 (आठ) सप्ताह
8	न्यायायिक प्रशिक्षण (अपील एवं न्यायाधिकरण)	04 (चार) सप्ताह
9	भविष्य निधि निदेशालय प्रशिक्षण	01 (एक) सप्ताह
10	वैट अंकेक्षण (वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त)	04 (चार) सप्ताह
11	महालेखाकार अंकेक्षण प्रशिक्षण (महालेखाकार/अंचल/मुख्यालय सहित)	02 (दो) सप्ताह
12	पड़ोसी राज्यों के वैट अधिनियमों का प्रशिक्षण हेतु राज्य के बाहर अन्य संस्थानों में प्रशिक्षण।	04 (चार) सप्ताह
13	अंचल प्रशिक्षण जिसमें पदाधिकारियों को वाणिज्य–कर पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जायेगा ताकि वे पूर्ण रूप से किसी अंचल में कार्य कर सकें।	15 (पन्द्रह) सप्ताह
14	76 सप्ताह के प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात् पुनः ए0टी0आई0 प्रशिक्षण जिसमें प्रशिक्षुओं के बीच Interactive Session का होना एवं Field Training में आई दिक्कतों से संबंधित प्रशिक्षुओं का Query एवं सुझाव तथा टेस्ट का लिया जाना Project work, Power Point Presentation आदि।	04 (चार) सप्ताह
15	विभिन्न प्रशिक्षण के लिए मुभमेंट	02 (दो) सप्ताह
	कुल	**80 (अस्सी) सप्ताह**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शुभकीर्ति मजुमदार,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

29 जनवरी 2010

सं०1 स्था०-8/2010-113-वि०स०—वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3ए-7-महा०-01/2005-1500 वि०(2), दिनांक 24 मार्च 2005 तथा सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-499, दिनांक 12 अप्रील 2005 के अनुसरण में श्री अरविन्द कुमार यादव, उप-सचिव, बिहार विधान-सभा सचिवालय की आयु 60 वर्ष पूरी होने के फलस्वरूप इन्हें दिनांक 31 जनवरी 2010 के अपराह्न सेवा-निवृत्त किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
राजकिशोर रावत, उप सचिव ।

24 फरवरी 2010

सं०1 स्था०-12/2010-238-वि०स०—वित्त विभाग के संकल्प सं० 3ए-7-महा०-01/2005-1500 वि०(2), दिनांक 24 मार्च 2005 तथा सभा सचिवालय की अधिसूचना सं० 499, दिनांक 12 अप्रील 2005 के अनुसरण में श्री रवीन्द्र नाथ सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान-सभा सचिवालय की आयु 60 वर्ष पूरी होने के फलस्वरूप इन्हें दिनांक 28 फरवरी 2010 के अपराह्न से सेवा-निवृत्त किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
राजकिशोर रावत, उप सचिव ।

29 मार्च 2010

सं०1स्था०-27/10-487-वि०स०—वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3ए-7-महा०-01/2005-1500 वि०(2), दिनांक 24 मार्च 2005 तथा सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-499, दिनांक 12 अप्रील 2005 के अनुसरण में श्री सुनील कुमार सिन्हा, उप-सचिव, बिहार विधान-सभा सचिवालय की आयु 60 वर्ष पूरी होने के फलस्वरूप इन्हें दिनांक 31 मार्च 2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
हरे राम मुखिया, उप सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 15—571+650-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

अधीक्षक का कार्यालय,
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना।

निविदा सूचना

सं० 7268—पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के विभिन्न इकाईयों में अवस्थित मशीन/उपकरणों की मरम्मती एवं वार्षिक सम्पोषण(पार्टस सहित) करने हेतु मुहरबंद एवं टंकित निविदा प्रकाशन की तिथि से इक्कीस (21) दिनों के अन्दर निर्बंधित डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा निविदा आमंत्रित किया जाता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु अधीक्षक कार्यालय से निविदा प्रकाशन के पश्चात् सम्पर्क स्थापित कर रु० 100 का Nonrefundable डिमांड बैंक ड्राफ्ट द्वारा कार्यालय समयावधि में प्राप्त करसकते हैं तथा इस निविदा संबंधी सभी जानकारियाँ वेबसाईट (WWW.prd. bihar.org./www.p.m.c.h.in) पर भी देखी जा सकती है। जो निविदादाता वेबसाईट से डाउनलोड कर भाग लेंगे निविदा के साथ रु० 100 का Nonrefundable डिमांड बैंक ड्राफ्ट अधीक्षक पी०एम०सी०एच०, पटना के नाम से पटना में देय हो देना होगा।

स्थान: पटना (ह०) अस्पष्ट,
दिनांक: 25 जून 2010 अधीक्षक।

निविदा शर्त:-

1. निविदा दो प्रकार की होगी (1) तकनिकी (2) वित्तीय।

2. निविदादाता का नाम एवं पूरा पता दूरभाष संख्या के साथ।

3. बिहार वाणिज्य-कर में निबंधन एवं अद्यतन अनापत्ति प्रमाण-पत्र। वैसे फर्म जो वर्तमान में बिहार वाणिज्य-कर में निर्बंधित नहीं हैं वे भी निविदा दे सकते हैं, परन्तु अगर ऐसे फर्म वित्तीय निविदा में निम्न दर में प्रथम स्थान (L1) पर आते हैं। तो उन्हें कार्य का आदेश मिलने के पूर्व बिहार वाणिज्य कर में निर्बंधित होने का प्रमाण-पत्र कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

4. प्रदत्त पंजीयन-पत्र एवं अद्यतन कार्यरत रहने का प्रमाण-पत्र उद्योग विभाग से।

5. पूर्व में किये गए कार्यों का प्रतिवेदन एवं कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण-पत्र।

6. मशीन/उपकरण की मरम्मति एवं वार्षिक सम्मपोषण हेतु तकनिकी निविदा में 25,000 (पच्चीस हजार) रुपये मात्र का एन.एस.सी./बैंक ड्रफ्ट जो अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना को प्रतिभूत होगा, संलग्न करना होगा।

7. नन कनभिक्शन सर्टिफिकेट एवं निविदादाता या फर्म/Agency के काली सूची में नहीं होने एवं विवाद का न्यायिक क्षेत्र पटना होने का प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र तकनिकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

8. अगर प्रथम निम्न दर वाले फर्म (L1) को कार्य का आदेश देने के बाद उनका कार्य संतोषजनक नहीं रहा और द्वितीय निम्न दर वाला (L2) फर्म पहले निम्न दर वाले (L1) फर्म के अनुमोदित दर पर कार्य करने के लिए सहमत होता है तो द्वितीय निम्न दर वाले (L2) फर्म को कार्य करने का आदेश दे दिया जायेगा एवं प्रथम निम्न दर वाले (L1) फर्म का अग्रधन जब्त करते हुए उनके फर्म को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जायेगी।

9. अगर किसी फर्म द्वारा आदेश मिलने के बाद निर्धारित अवधि के बीच में कार्य करना बन्द कर दिया जाता है या बीच में छोड़-छोड़कर कार्य किया जाता है तो उनके द्वारा पूर्व में किये गये कार्यों का भुगतान नहीं किया जायेगा एवं उनके विरूद्ध कारवाई की जायेगी।

10. निविदा टंकित एवं अलग-अलग लिफाफे में मुहरबन्द होगा और लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से तकनिकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अंकित करना होगा। निविदा उपलब्ध कराये गये सूची के क्रम में ही देना होगा। अधूरे निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. निविदा में संलग्न सभी कागजों के कुल पृष्ठों की संख्या निविदा के अग्रसारण पत्र पर अंकित करते हुए प्रमाणित करना होगा।

12. श्रम विभाग में निबंधन। वैसे फर्म जो वर्तमान में श्रम विभाग में निर्बंधित नहीं हैं उन्हें कार्य का आदेश मिलने के पूर्व श्रम विभाग में निर्बंधित होने का प्रमाण-पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।

वित्तीय निविदा

1. वित्तीय निविदा में निविदा सूची में अंकित क्रमानुसार मशीनों का नाम एवं दर अंकित करना होगा।

2. किसी कार्य के लिए एक से अधिक दर अनुमान्य नहीं होगा इसके अतिरिक्त वित्तीय निविदा में और कोई कागज संलग्न नहीं किया जायेगा।

3. क्रय समिति में तकनिकी निविदा की स्वीकृति के पश्चात् ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।

4. क्रय समिति/अधीक्षक को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

स्थान: पटना (ह०) अस्पष्ट,

दिनांक: 25 जून 2010 अधीक्षक।

LIST OF REPAIR AND ANNUAL MAINTENANCE OF MACHINE/EQUIPMENTS (WITH PARTS)

1. Suction Machine
   (*a*) Suction Machine (M.T.P)
2. Cold Light Source
3. Ceiling O.T. Light
4. O.T. Table Hydrolic
5. Boiler
6. Big Sterlizer
7. Anaesthesia Machine
   (*a*) Boyle's F
   (*b*) Boyle's Major
   (*c*) Datex Ohmeda Excell
8. Bone Drill Machine
9. Fumigation
10. High Pressure Autoclave Machine
11. Nebolizer Machine
12. Laryngoscope
13. Autoclave Machine
14. Head Light
15. Semi Auto analyzer (Bayer)
16. Semi Electrolyte Anayzer (Bayer)
17. Washing Machine (Full System) (Washing Machine - 2 Dryer- 2 Hydro 2 Boiler -1)
18. Refrigerator (165 Ltr. With Stab) (300 Ltr. Godrej with STab) (165 Ltr. With Slab)

19. Air Conditioner
20. Incubator
21. Hot Air Oven (Yorko)
22. Water bath
23. Centrifuse Machine
24. Voltage Stablizer (4 KVA, 3KVA, 0.5 KVA, Sorro type)
25. Electric Sterlizer
26. Microscope Binacular (Micron), Operating Microscope
27. Electric Blower & Heater
28. U.P.S.
29. Chemical Balance (a) Electronic Balance (b) Electrical Balance
30. Syringe Cutter
31. Distillation Plant
32. Auto Pipette
33. S.W. Diathermy (500 Watt, 250 Watt)
34. S.W. Diathermy (500 Watt Philips, Hospital Model)
35. Whirlpool Bath
36. Hobard Tank
37. Electrical EStumalation
38. Paraphin Bath
39. B.P. Instrument
40. Surgical Diathermy
41. Cuttery Machine
42. Phototherapy
44. D.C. Defibilator
45. Audiometry Machine

Place:- Patna — Sd/-Illegible
Date :-*25th June 2010* — *Superintendent.*

अधीक्षक का कार्यालय,
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना।

निविदा सूचना

सं० 7269—वर्ष 2010-11 में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के विभिन्न विभागों एवं इकाईयों में लोहे एंव लकड़ी से निर्मित उपसकरों की मरम्मति एवं रंगाई-पोताई हेतु मुहरबंद एवं टेंकित निविदा प्रकाशन की तिथि से इक्कीस (21) दिनों के अन्दर निर्बोधित डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा निविदा आर्मंत्रित किया जाता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु अधीक्षक कार्यालय से निविदा प्रकाशन के पश्चात् सम्पर्क स्थापित कर रु० 100 का Nonrefundable डिमांड बैंक ड्राफ्ट द्वारा कार्यालय समयावधि में प्राप्त कर सकते हैं तथा इस निविदा संबंधी सभी जानकारियाँ वेबसाईट (WWW.prd. bihar.org./WWW.p.m.c.h.in) पर भी देखी जा सकती है। जो निविदादाता वेबसाईट से डाउनलोड कर भाग लेंगे निविदा के साथ रु० 100 का Nonrefundable डिमांड बैंक ड्राफ्ट अधीक्षक पी०एम०सी०एच०, पटना के नाम से पटना में देय हो देना होगा।

स्थान: पटना — (ह०) अस्पष्ट,
दिनांक: 25 जून 2010 — अधीक्षक।

निविदा शर्तः—

1. निविदा दो प्रकार की होगी (1) तकनिकी (2) वित्तीय।

2. निविदादाता का नाम एवं पूरा पता दूरभाष संख्या के साथ।

3. बिहार वाणिज्य-कर में निबंधन एवं अद्यतन अनापत्ति प्रमाण-पत्र। वैसे फर्म जो वर्तमान में बिहार वाणिज्य कर में निर्बंधित नहीं हैं वे भी निविदा दे सकते हैं, परन्तु अगर ऐसे फर्म वित्तीय निविदा में निम्न दर में प्रथम स्थान (L1) पर आते हैं। तो उन्हें कार्य का आदेश मिलने के पूर्व बिहार वाणिज्य-कर में निर्बंधित होने का प्रमाण-पत्र कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

4. प्रदत्त पंजीयन पत्र एवं अद्यतन कार्यरत रहने का प्रमाण-पत्र उद्योग विभाग से।

5. अगर लघु उद्योग ईकाई है तो उसका अद्यतन कार्यरत प्रमाण-पत्र ।

6. पूर्व में किये गए कार्यों का प्रतिवेदन एवं कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण-पत्र।

7. लोहे एवं लकड़ी से निर्मित उपस्करों की मरम्मती एवं रंगाई पोताई हेतु तकनिकी निविदा में रु० 25,000 (पच्चीस हजार रुपये) मात्र का एन.एस.सी/बैंक ड्राफ्ट जो अधीक्षक पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना को प्रतिभूत होगा संलग्न करना होगा । लघु उद्योग इकाई को जमानत की राशि के रूप में अग्रधन का 20 प्रतिशत एन.एस.सी./बैंक ड्राफ्ट के रूप में देना होगा ।

8. नन कनभिक्शन सर्टिफिकेट एवं निविदादाता या फर्म/ Ageury के काली सूची में नहीं होने एवं विवाद का न्यायिक क्षेत्र पटना होने का प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र तकनिकी निविदा में संलग्न करना होगा ।

9. अगर प्रथम निम्न दर वाले फर्म (L1) को कार्य का आदेश देने के बाद उनका कार्य संतोषजनक नहीं रहा और द्वितीय निम्न दर (L2) वाला फर्म पहले निम्न दर वाले (L1) फर्म के अनुमोदित दर पर कार्य करने के लिए सहमत होता है तो द्वितीय निम्न दर वाले (L2) फर्म को कार्य करने का आदेश दे दिया जायेगा एवं प्रथम निम्न दर वाले (L1) फर्म का अग्रधन जब्त करते हुए उनके फर्म को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जायेगी।

10. निविदा टंकित एवं अलग-अलग लिफाफे में मुहरबन्द होगा और लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से तकनिकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अंकित करना होगा। निविदा उपलब्ध कराये गये सूची के क्रम में ही देना होगा। अधूरे निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. निविदा में संलग्न सभी कागजों के कुल पृष्ठों की संख्या निविदा के अग्रसारण पत्र पर अंकित करते हुए प्रमाणित करना होगा।

<u>वित्तीय निविदा</u>

1. वित्तीय निविदा में निविदा सूची में अंकित क्रमानुसार उपस्करों का नाम एवं दर अंकित करना होगा।

2. किसी कार्य के लिए एक से अधिक दर अनुमान्य नहीं होगा इसके अतिरिक्त वित्तीय निविदा में और कोई कागज संलग्न नहीं किया जायेगा।

3. क्रय समिति में तकनिकी निविदा की स्वीकृति के पश्चात् ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।

4. क्रय समिति/अधीक्षक को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

स्थानः पटना (ह०) अस्पष्ट,

दिनांकः 25 जून 2010 अधीक्षक।

<u>उपस्करों के मरम्मती हेतु सूची</u>

1. Arm chair plastic caning of seat and back
2. Arm chair minor and major repair
3. Arm chair wooden seat new fitting
4. Arm chair polish
5. Club chair minor repair
6. Club chair plastic canning of seat and back
7. Cub Chair polish
8. Long easy chair charge and polish
9. Class chair repairing and painting
10. Wooden table repair and polish

11. Wooden table new raxin fitting
12. Wooden table new class fitting
13. Wooden bench repair and painting
14. Wooden stool repair and polish
15. Wooden door parda new fitting
16. Wooden door parda rod steel pipe fitting
17. Iron angle pole for sign board fitting
18. Oxygen cylinder stand repairing and painting
19. Kura gadi repairing and painting
20. Iron flat delivery bed and children bed
21. Patient trolley repairing and painting, wheel changing etc.
22. Medicine trolley painting and repairing, wheel changing
23. Drum stand repairing and painting
24. Name writing on the name plate both hindi and English
25. Iron signboard with wooden frame with writing and painting
26. Iron angle new supply
27. Wooden almirah and glass door almirah repairing and painting
28. Steel almirah repairing and painting
29. Saline stand, ball stand and basin stand repair
30. Sterlizer stand painting
31. Dressing drum repair
32. Revolving stool repair
33. Book self repair
34. Black board painting
35. Iron baby credile repair
36. Steel rack repair
37. Plastic canning and repairing of sofa
38. Notice board new glass fitting and repairing
39. Steel chair repairing and painting
40. Strecher repair
41. Godrej chair repairing, painting and canning
42. Godrej table repairing and painting
43. Godrej Almirah repairing and painting
44. Godrej revolving chair repairing and painting
45. Bed side locker repairing and painting
46. ICU bed repairing and painting

Place:- Patna — Sd/-Illegible

Date :-*25th June 2010* — *Superintendent.*

अधीक्षक का कार्यालय,

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना।

निविदा सूचना

सं॰ 7271—वित्तीय वर्ष 2010-11 में पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना में प्रयोजनार्थ सात रंगों के हैण्डलूम/खादी के सतरंगी चादर के क्रय हेतु समाचार पत्र में निविदा प्रकाशन की तिथि से 21(इक्कीस) दिनों के भीतर बिहार

वाणिज्य-कर में निबंधित निर्माताओं/प्राधिकृत विक्रेताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं से निबंधित डाक अथवा स्पीड पोस्ट के द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी सरकार के वेवसाईट www.prdbihar.org एवं पी.एम.सी.एच., पटना के वेवसाईट www.pmch.in पर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त निविदा प्रकाशन के पश्चात किसी कार्य दिवस को निविदा का शर्त एवं सूची कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

स्थान: पटना (ह०) अस्पष्ट,

दिनांक: 25 जून 2010 अधीक्षक।

निविदा शर्त :—

(1) निविदा दो प्रकार की होगी तकनीकि एवं वित्तीय दोनों अलग-अलग लिफाफे में मुहरबंद होगा एवं दोनों ही लिफाफे पर निविदा का विषय अंकित करते हुये तकनीकि एवं वित्तीय लिखना आवश्यक होगा। निविदा टंकित होना चाहिये। हस्तलिखित निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

(2) निविदादाता को इस निविदा कार्य हेतु बिहार वाणिज्य-कर में निबंधित होने संबंधी प्रमाण-पत्र एवं वाणिज्य-कर विभाग का अद्यतन चुकता प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

(3) अगर निविदादाता निर्माता हैं तो निबंधन का प्रमाण-पत्र तथा किन सामग्रियों के निर्माण हेतु निर्बाधित हैं उसका प्रमाण-पत्र संलग्न करने के साथ-साथ निर्माता को अपनी इकाई का कार्यरत रहने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

(4) निविदादाता को 25,000 (पच्चीस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट जो अधीक्षक के पदनाम से प्रतिभूति होगा। अग्रधन के रूप में संलग्न करना होगा।

(5) निविदादाता को कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र संलग्न करना होगा कि उनके फर्म/एजेंसी का नाम कभी काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।

(6) निविदादाता को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि आपूर्ति की गई चादरें हैन्डलूम/खादी की हीं हैं, तथा बिहार में हीं उत्पादित हुई हैं। जिन निविदादाता के निविदा में यह प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं होगा, उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। साथ हीं साथ निर्माताओं को प्राथमिकता दी जायगी।

(7) इसके अतिरिक्त आपूर्ति किये गये चादर पर कम-से-कम दो जगह बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग, पी.एम.सी. एच., पटना अंकित करना होगा। चादर की आपूर्ति सात रंगों में की जायेगी। (1) बैगनी(**Violet**), (2) नीला(**Indigo**), (3) आसमानी (**Blue**), (4) हरा(**Green**), (5) पीला(**Yellow**), (6) नारंगी(**Orange**) एवं (7) लाल(**Red**) रंग का होगा। निविदादाता को दर अनुमोदन के पूर्व निर्धारित तिथि को क्रय समिति के समक्ष नमूने के साथ उपस्थित होना होगा। क्रय समिति द्वारा स्वीकृत किये गये नमुने वाले निविदादाता का हीं वित्तीय निविदा खोला जायेगा। चादर का साईज 110″X60″(9′2″X5′) होगा।

(8) किसी भी विवाद का न्यायीक क्षेत्र पटना होगा ।

वित्तीय निविदा

(क) वित्तीय निविदा में सतरंगी चादरों का कर रहित एवं कर सहित दर अंकित करना है।

स्थान: पटना (ह०) अस्पष्ट,

दिनांक: 25 जून 2010 अधीक्षक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 15—571+30-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

14 मई 2010

सं० निग/सारा–1 (पथ)–22/2010–7199 (एस)—श्री भारत भूषण, सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल डिहरी–ऑन–सोन के विरूद्ध बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पत्रांक 555, दिनांक 19 मार्च .2010 से प्राप्त अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा के आलोक में पैक्स चुनाव 2009, पंचम चरण के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु दण्डाधिकारी के रूप में की गयी प्रतिनियुक्ति से संबंधित पत्र को लेने से इंकार करने, पत्र तामिला कराने गये अनुसेवक के साथ अभद्र व्यवहार करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 5099, (एस) दिनांक 9 अप्रील 2010 द्वारा श्री भूषण से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री भूषण, सहायक अभियंता द्वारा पत्रांक 48, दिनांक 21 अप्रील 2010 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में मुख्यतः इस संबंध में अपने पत्रांक 123, दिनांक 23 नवम्बर 2009 द्वारा जिला पदाधिकारी रोहतास को समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित तथ्य कि इनके आवास पर रात्रि 10.15 बजे तक तामिला कराने कोई कर्मचारी नही आया और न ये किसी कर्मचारी से अशिष्ट व्यवहार ही किये का उल्लेख किया गया। उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि दूसरे दिन इनकी पत्नी ने बताया कि उनके सोने के बाद कोई देर रात कैम्पस के अंदर आकर दरवाजा पीट रहा था, परन्तु बिजली कटी रहने के कारण सुरक्षा के कारण दरवाजा नहीं खोल सकी। श्री भूषण द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत पाया गया कि इनके उक्त स्पष्टीकरण पर अनुमंडल पदाधिकारी डेहरी एवं तदनुसार जिला पदाधिकारी रोहतास का मंतव्य है कि उनका स्पष्टीकरण सत्य से परे एवं निराधार है। इस आलोक में श्री भारत भूषण, सहायक अभियंता के स्पष्टीकरण को स्वीकार्य नहीं मानते हुए सम्यक् रूप से विचारोपरांत सरकार के निर्णयानुसार निम्न दंड संसूचित किया जाता है–

(क) इन्हें वर्ष 2009–10 के लिए चेतावनी दी जाती है जिसकी प्रतिष्टि इनकी चारित्री एवं सेवापुस्त में की जाए।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

7 जून 2010

सं० स0क0 निग0 30–74/08–2453—श्रीमती चंद्रकांति कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मुंगेर सदर (मुंगेर) सम्प्रति अस्थावॉ, नालंदा के विरूद्ध पोषाहार वितरण में अनियमितता, आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए कर्णांकित राशि के गलत ढंग से अन्तरण एवं कर्त्तव्य की उपेक्षा के संदर्भ में जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक 2390 दिनांक 29 जून 2007 द्वारा प्रपत्र 'क' में आरोप–पत्र विभाग को प्राप्त हुआ। इस संबंध में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 633 दिनांक 23 जुलाई

2007 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पोषाहार वितरण में अनियमितता, पोषाहार की राशि बैंक में अन्तरित किये जाना, अग्रिम राशि के समायोजन हेतु विभागीय स्थापित अनुदेशों की उपेक्षा एवं प्रशासनिक विफलता जैसे आरोप प्रमाणित पाए गए। इस संबंध में आरोपी से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग विभागीय पत्रांक 1127, दिनांक 16 मार्च 2010 द्वारा दी गई एवं आरोपी द्वारा पत्रांक 204, दिनांक 15 अप्रील 2010 द्वारा विभाग को द्वितीय कारण पृच्छा उपलब्ध कराया गया। आरोपी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में तथ्य पर कोई कारण पृच्छा नहीं दी गई है।

2. उपर्युक्त आलोक में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, आरोपी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्रीमती चंद्रकांति कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मुंगेर सदर, मुंगेर सम्प्रति अस्थावॉ, नालंदा को बिहार सरकारी सेवक (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 के अधीन निम्नांकित शास्तियॉ/दण्ड अधिरोपित की जाती है :–

1. निन्दन
2. दो वेतन वृद्धियॉ असंचयात्मक प्रभाव से रोका जाना।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मृत्युंजय गुप्ता, उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 15–571+20-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in